



न्यायालय माननीय राजस्व पण्डि पञ्चपूर्वक, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

१२०१८ निगरानी

III/निगरानी/सीधी/भरा/२०१८/०२८९

दिनांक ७.१.१८ को
जी अमृत को श्रीमद्भव
लाल को प्रमुखता/
७.१.१८

फ० ५० ७-२-१८

२५५ अग्रिम
८/१९१९२

रामनिवास पुत्र राम जियाबन, निवासी ग्राम भाँमा
तहसील रामपुर नेकिन, जिला सीधी-मध्यपूर्वक ।

----- प्रार्थी

बिराज्य

१- हीरामणि	३३ रामदेवक ३३
२- राजमणि	पुत्रगण मिहमसी पट्टे
३- राजाराम	
४- सुरेन्द्र	
५- राजवहावुर	पुत्रगण गिरधारी पट्टे
६- नारेन्द्र	
७- रवी	
८- धूब	
९- बड़कुड़ा पट्टे पुत्र चन्द्रशेखर पट्टे,	
समस्त निवासीगणम भाँमा तहसील रामपुर नेकिन, जिला सीधी-मध्यपूर्वक ।	

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिराज्य बादेश एस०डी०बी० महादय (राजस्व) रामपुर नेकिन
जिला सीधी-मध्यपूर्वक दिनांक २७-१२-१७, अन्तर्गत धारा १० मध्यपूर्वक
मू-राजस्व संहिता, १६५६। प्र०क०२७४। १५-१६-बपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्न बाधारी पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०बी० महादय की आज्ञा कानून सही नहीं है ।
- २- यह कि, एस०डी०बी० महादय के प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी
स्थिति की सही नहीं समझा है ।

(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबंधि आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/R/८७६८/शृङ्खला/१८/२८९, शामनिवास/६२१८०८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
४/११९	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रम्य. के. गीतास्तव</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>श्री अमृत नीरंजन</u> के प्रकरण क्रमांक <u>२७४/१५-१६/आपील</u> में पारित आदेश दिनांक <u>२७/१२/१७</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२३/५/१९</u> को कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p></p>	